



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(श्रम मंत्रालय, भारत सरकार)

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(Ministry of Labour Govt. of India)

उप क्षेत्रीय कार्यालय, "भविष्य निधि भवन"

SUB REGIONAL OFFICE, "BHAVISHYANIDHI BHAVAN"

पत्र पे.नं./P.B.NO:1806, एरन्जिपलम पोस्ट /ERANHIPALAM.P.O., कोयिक्कोड/KOZHICODE-673 006.

दूर भाष / Phone No.: 2361293, 2767893, 2368193 फैक्स / Fax: 2768850.

ई. मेल/E. Mail:sro.kozhicode@epfindia.gov.in वेब साइट/Website: www.epfmalabar.gov.in

निरीक्षणालय/Inspectorate कोयिक्कोड/KOZHICODE (CALICUT)-2367568:

जिला कार्यालय/District Offices:पालक्काड/PALAKKAD-0491-2571245, वयनाड /WAYANAD-04936-204443

सं/No. -के. आर/KR/के.के./KKJ 28410/प्रवर्तन/Ent./M2/ 2012

दिनांक/Dated:

- 2 MAR 2012

सेवा में/To: THE CHAIRMAN

M/S ST. XAVIER'S CENTRAL SCHOOL

MANOJLAMPADY

PALAKKAD

5513

विषय:-में कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध

उपबंध अधिनियम 1952 व उसके अधीन बनाई गई योजनाओं को लागू करना।

Sub: Applicability of the E.P.F. & M.P. Act, 1952 and the Schemes framed thereunder to M/s. ST. XAVIER'S CENTRAL SCHOOL

महोदय/महोदया, Sir/Madam,

कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 तथा इस पर बनाई गई योजनाएं अर्थात्- कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एवं कर्मचारी निक्षेप सहवृद्ध बीमा योजना 1976, आपकी स्थापना, व स्थापना की सभी शाखाओं में, यदि कोई हो, को दिनांक.....से लागू है, चूंकि-

- यह अनुसूची 1 में निर्धारित उद्योगों के अंतर्गत एक कारखाना है, जिसमें अधिनियम की धारा 1(3) (ए) के अंतर्गत क.भ.नि.ए. विविध उपबंध अधिनियम लागू कर दिया गया है।
- यह भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं.....दिनांक.....के अंतर्गत.....में संलग्न स्थापनाओं के वर्ग के एक संस्थान है, जिसमें अधिनियम की धारा 1(3) (बी) के अंतर्गत क.भ.नि. एवं विविध उपबंध अधिनियम को लागू कर दिया गया है।
- नियोजक तथा स्थापना के बहुसंख्यक कर्मचारियों के अनुरोध पर आपकी स्थापना अधिनियम की धारा 1(4) के तहत स्वेच्छिक आधार पर अधिनियम के दायरे में लाया जा रहा है।

The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 along with the schemes framed thereunder viz: Employees' Provident Fund Scheme, 1952, Employees' Pension Scheme, 1995 and Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, is applicable to your establishment together with all its branches, if any, with effect from 1-1-2012 as

- It is factory engaged in one of the industries specified in Schedule I to which the E.P.F. & M.P. Act is applicable under Section 1(3)(a) of the Act.
- It is an establishment EDUCATIONAL INSTITUTION included in the class of establishment to which the E.P.F. & M. P. Act is applicable by notification No. 90 986 dated 19-2-82 of the Government of India issued under Section 1(3)(b) of the Act.
- Based on the request of the employer and majority of employees of the establishment it is being voluntarily brought under the purview of Section 1(4) of the Act.

2. इसमें दिनांकको 2015 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत है।

It has employed 2015 or more persons as on 1-1-2012

3. आपकी स्थापना व स्थापना के सभी शाखाओं को कोड सं के आर/के.के.आवंटित किया जाता है, जिसे भविष्य में इस कार्यालय व जिला कार्यालयों के साथ के सभी पत्राचारों में अनिवार्य रूप से उद्धरण करें।

Code No. KR/KKJ 28410 is allotted to your establishment, which should invariably be quoted in all future correspondences with this office as well as with the District Offices.

4. आपको इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर सभी सांविधिक रिटर्न जैसे फार्म 9, फार्म 2, फार्म 5-ए में स्वामित्व संबंधी रिटर्न प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रकार फार्म 12 ए, फार्म 5, फार्म 10 में प्रत्येक माह की मासिक रिटर्न माह के तुरंत बाद आने वाले माह की 25 तारीख तक उक्त माह में भविष्य निधि के विभिन्न शीर्ष में अदा की गई राशि के चालान की तीसरी प्रति समेत प्रस्तुत करना है।

You are required to submit the necessary statutory returns viz: The form 9, Form 2 and the return of ownership in Form 5-A within 15 days of the receipt of this Notice. As also the monthly returns in Form 12-A, Form 5 and Form 10 in each month on or before 25th of the month following that to which it relates, along with the triplicate copy of challans in token of the remittances made by you under different heads.

5. (ए) आपको इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर.....से.....तक की अवधि के अंशदान व अन्य प्रभार जमा करना चाहिए तथा बाद के.....महीनों के सभी प्रेषण प्रत्येक माह के तुरंत बाद आने वाले माह की 15 वीं तारीख तक जमा करना चाहिए। सभी प्रेषण भारतीय स्टेट बैंक/स्टेट बैंक आफ द्रावणकोर के शाखाओं में विविध शीर्ष में अर्थात् खाता सं.1 में क.भ.नि. अंशदान; खाता सं.10 में क.पें.नि. अंशदान, खाता सं. 21 में क.नि.स.बी.यो. अंशदान; खाता सं.2 में क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार और खाता सं.22 में क.नि.स.बी.यो. प्रशासनिक प्रभार जमा करना चाहिए।

जारी/Contd.....2/-

(को.) नियोजक द्वारा प्रत्येक कर्मचारी को प्रदत्त किया गए मूल वेतन, महंगाई भत्ता (किसी भी राष्ट्रीय - राजस्व की महंगाई भत्ता) तथा निवृत्ति भत्ता (यदि कोई हो) जो चार माह में उस पूरे माह में कर्मचारी का लिए गए हो, जो कि दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या मासिक-द्वितीय की आधार पर भुगतान किए गए हैं, के 10/12% अंशदान स्वरूप जमा करना चाहिए। तथा कर्मचारी द्वारा दत्त अंशदान का दर नियोजक द्वारा दत्त अंशदान के बराबर है। उपर्युक्त नियोजक के अंशदान का 8-1/3% को अलग करके उस क.भ.नि खाता सं: 10 में तथा शेष राशि क.भ.नि. खाता सं: 1 में जमा करना चाहिए।

(ख.) क.भ.नि.स को को अंशदान मात्र नियोजक द्वारा जमा किया जाना है। इसके लिए अंशदान की मात्रा संस्थान के सभी क.भ.नि सदस्यों को प्रत्येक माह में प्रदत्त किए गए कुल वेतन का 0.5% है तथा इसे खाता सं: 21 में जमा किया जाना है।

(ग.) नियोजक द्वारा प्रशासनिक प्रभारों का भुगतान किया जाना है, जो कि प्रत्येक माह में खाता सं: 2 में उक्त माह में प्रदत्त किए गए कुल वेतन का 1.1% है। अतः प्रत्येक माह में 5 रु से कम नहीं होना चाहिए, तथा खाता सं: 22 में उक्त माह में प्रदत्त किए गए कुल वेतन का 0.01% है, तथा न्यूनतम जमा 2 रु से कम नहीं होना चाहिए।

5 a) You should remit the contributions and other charges for the period from 1-1-2012 to 31-1-2012 within 15 days from the date of receipt of this intimation and the dues for the subsequent months from 1-2-2012 should be remitted on or before the 15th of the month following that to which it pertains. The remittance should be made in any of the branches of the SBI / SBT, under different heads namely, EPF contributions in A/c. No. 1, Pension Fund contribution in A/c. No. 10, EDLI contribution in A/c. No. 21, EPF Administrative charges in A/c. No. 2 and EDLI administrative charges in A/c. No. 22.

b) The contribution payable by the Employer shall be 10% / 12% of the basic wages, dearness allowances (including the cash value of any food concession) and retaining allowances (if any) payable to each employee actually drawn during the whole month, whether paid on daily, weekly, fortnightly or monthly basis and the contribution payable by the Employee shall be equal to the contribution payable by the employer. From and out of the said contributions 8 1/3% of the employer's share may be segregated and remitted in A/c. No. 10 as the EPS contribution and the remaining amount and the employees' share need to be remitted as EPF contribution in A/c. No. 1.

c) For the EDLI Scheme, contributions are to be made by the Employer only and the rate of contribution payable shall be 0.5% of the total wages in respect of all the EPF members, disbursed during the particular month.

d) The administrative charges are to be paid by the Employer at the rate of 1.10% subject to a minimum of Rs. 5/- in A/c. No. 2 and 0.01%, subject to a minimum of Rs. 2/- in A/c. No. 22, calculated on the total wages disbursed during a particular month in respect of the EPF members.

6. आपको स्थापना में पहले से एक भविष्य निधि योजना चले रहने की स्थिति में स्थापना के जिन कर्मचारी, क.भ.नि. 1952 के सदस्य बन गए हैं उन कर्मचारियों के खाते के पूर्व संघ, यदि संघ निधि नाद द्वारा अनुक्षित हो तो इस नोटिस की प्राप्ति के 10 दिन के भीतर व प्रतिभूतियों के माध्यम से इ.प्र.नि. प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर खाता सं: 1 में जमा करना चाहिए।

In case there is already in existence of a Provident Fund Scheme in your establishment the amount of past accumulations standing to the credit of the employees who have become members of the fund should be remitted to A/c. No. 1 of the EPF within ten days, in case it is retained in cash and within thirty days, in case it is in the form of securities.

7. आपको इस नोटिस में निहित विदेशों के अनुसार अधिनियम व नियमों के सक्त अनुपालन शुरू करें करना चाहिए।
You are required to commence compliance with the provisions of the Act and Schemes strictly following the directions contained herein.

8. विभिन्न सहायक स्कॉस रिटर्न की तैयारी व तत्संबंधी अन्य विषयों में विस्तृत जानकारी स्वरूप आप..... में कार्यरत प्रवर्तन अधिकारी या इस कार्यालय के जन संबंध अधिकारी से संबंध कर सकते हैं। आपके अनुरोध पर विभिन्न योजना के निर्धारित फार्म/प्रश्न जिला कार्यालयों से मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं।

For detailed instructions regarding the preparation of the various statutory returns and other connected matters you may contact the Enforcement Officer at PALAKKAD or the Public Relations Officer of this office. The forms and returns prescribed can also be had from this office or the District Offices free of cost, on your request.

कृपया प्राप्ति की सूचना भेजें / Please acknowledge receipt.

भवदीय/भवदीया /Yours faithfully,

सहायक भविष्य निधि आयुक्त
ASSISTANT PROVIDENT FUND COMMISSIONER
कोपिकोड / KOZHIKODE

प्रतिलिपि/COPY TO:- 1. ई.डी.पी. केंद्र/ E.D.P Centre

2. लेखा अनुभाग/ Accounts Branch

3. सी/सी. C. MUNDAL/THAR

प्रवर्तन अधिकारी, जिला कार्यालय-कोपिकोड/पालक्काड/वयनाड

Enforcement Officer, District Office - Kozhikode / Palakkad / Wayanad

सेवा हमारा कर्तव्य है/ Service is our duty

आप हमसे हिंदी में परामर्श कर सकते हैं